

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/98-99/7638-7643

दिनांक: 16.01.14

आदेश संख्या 346/2013-14

राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 29 के उप नियम (2) के अन्तर्गत लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 1996-97 के लिए आयोजित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 09.11.2000 में, श्री रामजीलाल (जन्मतिथि 10.07.61) लेखाकार के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, पुनरावेदन एवं अपील) नियम 1958 के नियम 16 में कार्मिक विभाग के ज्ञापन दिनांक 07.01.1998 तथा सीसीए नियम 17 में निदेशालय के ज्ञापन दिनांक 31.10.2000 में विभागीय जांच विचाराधीन होने के कारण वर्ष 1996-97 की रिक्तियों के विरुद्ध सहायक लेखाधिकारी के पद पर इनके चयन के नतीजे को बन्द लिफाफे में रखे जाने की अनुशंसा की गयी थी।

श्री रामजीलाल के विरुद्ध लम्बित दोनो जांच प्रकरणों में क्रमशः विभागीय जांच में विभागीय आदेश दिनांक 08.03.2001 के द्वारा एक वार्षिक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने एवं कार्मिक विभाग के दण्डादेश दिनांक 19.01.2009 के द्वारा एक वार्षिक वेतनवृद्धि संचयी प्रभाव से रोके जाने के दण्ड से दण्डित किये जाने के फलस्वरूप राजस्थान अधीनस्थ लेखा सेवा नियम 1963 के नियम 29 के उप नियम (2) (ए) के अन्तर्गत लेखाकार से सहायक लेखाधिकारी पद पर पदोन्नति हेतु वर्ष 1996-97, 1997-98 एवं 1998-99 के पुनरावलोकन के लिए गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 03.01.2014 की सिफारिश के आधार पर श्री रामजीलाल लेखाकार का सहायक लेखाधिकारी के पद पर 1998-99 की रिक्ति के विरुद्ध सहायक लेखाधिकारी के पद की वेतन श्रृंखला 6500-10500 में पदोन्नत किया जाता है। यह पदोन्नति श्री रामजीलाल द्वारा राजस्थान उच्च न्यायालय में दायर अपील के निर्णयाधीन रहेगी।

श्री रामजीलाल की वरिष्ठता वर्ष 1998-99 की चयन सूची में चयनित सहायक लेखाधिकारी श्री माणक चन्द बंसल के उपर क्रमांक एक पर रहेगी। श्री रामजीलाल को सहायक लेखाधिकारी के पद पर उक्त चयनित वर्ष की अंतिम तिथि दिनांक 31.03.1999 से इस आदेश की पालना में वास्तविक कार्यग्रहण तिथि तक पदोन्नत पद की वेतन श्रृंखला में वेतन निर्धारण में केवल काल्पनिक लाभ ही देय होगा। श्री रामजीलाल अग्रिम पद स्थापन तक वर्तमान कार्यालय में ही सहायक लेखाधिकारी के पद पर यथावत कार्यरत रहेगे।


(वीरबाला जोशी)

निदेशक

क्रमांक:-एफ.2 (ग) (1) अलेसे-1/7638-7643

दिनांक: 16.01.14

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है -

1. सचिव राज0 लोक सेवा आयोग, अजमेर।
2. संयुक्त शासन सचिव, वित्त (राजस्व) विभाग, राज0 जयपुर।
3. अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त झुन्झुनू।
4. श्री रामजीलाल, लेखाकार कार्यालय, अधीक्षण अभियन्ता सार्वजनिक निर्माण विभाग, वृत्त झुन्झुनू।
5. उप निदेशक (एसीपी) कार्यालय हाजा को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं पीआईएस में एन्ट्री करने हेतु।
6. निजी सहायक निदेशक महोदया।
7. लेखाधिकारी अलेसे - द्वितीय/ गोपनीय शाखा।
8. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


(के.एम. मीणा)

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक- I)

ए-ब्लॉक, वित्त भवन, ज्योति नगर, जनपथ, जयपुर

Website - dta.raj.nic.in, E-Mail Id - jdp-ta-rj@nic.in Fax-2742309, Tel.- 2744134

F:\Madhu Ji\Important orders T.c.doc97